जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति, गौतमबुद्वनगर की दिनांक–06.12..2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी कियान्वयन एंव मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल 2010 (टी0सी0–30) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया हैं। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजनाओ की स्वीकृति एंव राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं आई0एस0ए0 मैसर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा के देयको के भुगतान पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "**जिला पेयजल एंव स्वच्छता** समिति गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 06.12.2022 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर –उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी –सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिचांई विभाग, गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर –सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर –सदस्य सचिव।
11. श्री दिव्येश पटेल– प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद।
12. श्री सुभाष चन्द शर्मा– टीम लीडर, मैसर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा।

एजेण्डा:1 डी0पी0आर0 के संबध में–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2394/W-22/NIT/2021-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै0 एल0सी0इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गौतबुद्वनगर की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 विरचन एंव पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै0एल0सी0इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, लखनऊ तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गौतमबुद्वनगर हेतु पत्र संख्या–LC/HO/Projectd/UP_JJM/GB Nagar/2021-22/250 Date: 18-11-2022 के माध्यम से 12 नग नई योजना की डी0पी0आर0 तथा 09 नग पुर्नगठन पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 इस प्रकार कुल 21 नग डी0पी0आर0 (सम्मिलित ग्राम 22 नग) जल निगम ग्रामीण कार्यालय गौतमबुंद्वनगर में प्रस्तुत की गई। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टींजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा दी गई गाइडलाईन के अनुसार 12.50 प्रतिशित सैंटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया

है। उक्त समस्त 21 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	कन्टीजेन्सी सहित कार्य लागत (रू0लाख)	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (रू0लाख)	सैन्टेज 12.5 प्रतिशत (रू0लाख)	कुल लागत (रू0 लाख)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाईन वर्ष 2052 हेतु (रू0)
1	नूरपुर (पुर्नगठन)	दादरी	1	991	6318	292.80	52.70	36.60	382.10	5469
2	लुहारली (पुर्नगठन)	दादरी	1	1285	8320	379.85	68.37	47.48	495.71	5387
3	बड़पुरा (पुर्नगठन)	दादरी	1	1164	7513	280.40	50.47	35.05	365.92	4404
4	गुलावठी खुर्द (पुर्नगठन)	दादरी	1	580	3780	164.56	29.62	20.57	214.75	5137
5	सिरसा	जेवर	2	443	3805	221.27	39.83	27.66	288.75	6862
6	बिसाहडा (पुर्नगठन)	बिसरख	1	1954	12679	563.59	101.45	70.45	735.48	5245
7	पटाडी (पुर्नगठन)	बिसरख	1	2100	11847	494.13	88.94	61.77	644.84	4922
8	छोलस (पुर्नगठन)	दादरी	1	1800	11436	453.95	81.71	56.74	592.41	4684
9	जारचा (पुर्नगठन)	दादरी	1	2809	18337	653.24	117.58	81.65	852.47	4204
10	रसुलपुर डासना (पुर्नगठन)	बिसरख	1	491	3208	171.60	30.89	21.45	223.94	6312
11	इसलामाबाद कल्दा	बिसरख	1	333	2175	164.57	29.62	20.57	214.76	8928
12	कुडी खेडा	बिसरख	1	577	3758	224.25	40.37	28.03	292.65	7041
13	फुलपुर	दादरी	1	394	2551	168.31	30.30	21.04	219.65	7785
14	सरकपुर	जेवर	1	251	1639	144.73	26.05	18.09	188.87	10420
15	साल्हेपुर	जेवर	1	416	2665	165.03	29.70	20.63	215.36	7307
16	मकनपुर खादर	जेवर	1	443	2892	201.93	36.35	25.24	263.52	8239
17	नंगला चीति	जेवर	1	162	1054	120.50	21.69	15.06	157.26	13491
18	चांगौली	जेवर	1	397	1627	149.46	26.90	18.68	195.05	10840
19	राजपुर कंला	जेवर	1	783	3229	222.20	40.00	27.77	289.97	8120
20	दादुपुर खटाना	दादरी	1	436	1789	156.71	28.21	19.59	204.51	10336
21	मुठियानी	दादरी	1	461	1890	143.14	25.77	17.89	186.80	8937

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 21 नग डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम ग्रामीण कार्यालय गौतमबुद्धनगर द्वारा जाँच की गई। जॉच हेतु बिन्दु निम्नानुसार है।

1. योजना की प्रति व्यक्ति कार्य लागत रू0 7000 से कम होनी चाहिए ।
2. एकल ग्राम, एकल बस्ती पाइप पेयजल योजना में प्रति FHTC की लागत रू0 35000 से कम होनी चाहिए, एकल ग्राम बहुल बस्ती पाइप पेयजल योजना में प्रति FHTC की लागत रू0 50000 से कम होनी चाहिए, तथा बहुल ग्राम पाइप पेयजल में FHTC की लागत रू0 65000 से कम होनी चाहिए।
3. जनसख्या/FHTC का अनुपात 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।
4. वितरण प्रणाली की लागत रू 15 लाख प्रति कि0मी0 से अधिक नही हानी चाहिए।
5. रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत वितरण प्रणाली की लागत से 50 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।
6. ओवर हैड टैंक की क्षमता 25 कि0ली0 के गुणांक में होनी चाहिए।
7. ओवर हैड टैक की स्टेजिंग की ऊँचाई 18 मी0 से अधिक नही होगी।
8. रू 5.00 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजायन/ड्राईंग की वेटिंग आईआईटी/एनआईटी/अन्य राजकीय महाविघालयों/राजकीय विश्वविघालय से कराने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 में से क्रमांक 1.नूरपुर 2.लुहारली 3.बडपुरा 4.गुलावठी खुर्द 5.सिरसा 6.बिसाहडा 7.पटादी, 8.छोलस, 9.जारचा कुल 09 नग डी0पी0आर0 (सम्मिलित ग्राम–10) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के समस्त निर्धारित मानको के अनुरूप है। मानको के अनुरूप पाई गई 09 नग डी0पी0आर0 में से कमांक 6.बिसाहडा, 7.पटादी, 8.छोलस तथा 9.जारचा की लागत रू0 5.00 करोड से अधिक है जिनकी नियमानुसार वैटिंग राजकीय महाविघालय एच0बी0टी0आई0 कानपुर से कराई गई है। शासनादेश सं0–07/2022/430/छिहत्तर–1–2022–25 सम/2019 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार **"रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं की डी0पी0आर0 डिजाइन/ड्राईंग की वैटिंग आईआईटी/एनआईटी/अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालयों से कराने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणियां के अनुसार संशोधनोपरान्त डी0पी0आर0 अधीक्षण अभियंता, एस0डब्लू0एस0एम0 स्तर से संस्तुति एवं अभियंता/यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी"।** समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग से उपरोक्त 09 नग डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अभिमत मांगा गया जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग द्वारा उपरोक्त समस्त 09 नग डी0पी0आर0 को मानको के अनुरूप बताया गया तथा अन्य उपस्थित सदस्यों द्वारा भी अपनी सहमति व्यक्त की गई। उपरोक्त शासनादेश संख्या 07, दिनांक 04.03.2022 के अनुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा कमांक 1.नूरपुर 2.लुहारली 3.बडपुरा 4.गुलावठी खुर्द 5.सिरसा कुल 05 नग डी0पी0आर0 की लागत रू0 5.00 करोड से कम होने के कारण जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की कमांक 6.बिसाहडा 7.पटादी, 8.छोलस, 9.जारचा की कुल 04 नग डी0पी0आर0 को सम्मिलित करते हुए समस्त 09 नग डी0पी0आर0 संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि अवशेष 12 नग डी0पी0आर0 में से कमांक 10 पर अंकित रसूलपुर डासना पर प्रति FHTC के मानक के अनुरूप नहीं है **तथा कमाक 11 से 21 तक अंकित समस्त 11 योजनाए प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 तथा प्रति FHTC** लागत **रू0 35000 के मानक अनुरूप नही है।** जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्णय लिया गया कि मानको के अनुरुप नहीं पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 को संशोधित कर मानको के अनुरूप लाने के सम्बन्ध में मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0–टी0सी0एल (जे0वी0), अहमदाबाद को निर्देशित करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जाये तथा अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा भी मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0–टी0सी0एल (जे0वी0), अहमदाबाद को डी0पी0आर0 का पुनः परीक्षण करते हुए समस्त 12 नग डी0पी0आर0 को मानकों के अनुरूप संशोधित करने हेतु पत्र जारी किया जाये।

<u>एजेण्डाः–2 ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 के देयक के संबध में:–</u>

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2427/w-314/JJM-ISA/2021-22 दिनांक 25.01.2021 के क्रम में जल जीवन मिशन का कार्यक्रम सम्पादित करा रहे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, नोएडा के पत्रांक 1222/ जे0जे0एम0/ 89 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु चयनित ग्रामीण विकास ट्रस्ट

आई0एस0ए0 को विकास खण्ड जेवर के 33 एवं विकास खण्ड बिसरख के 04 ग्राम कुल 37 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्ध एवं शासनादेश सं0 03 /2021 /423/ छिहत्तर–1–2021–03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में सभी कार्यो/गतिविधियों को पूर्ण करने प्रस्तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022–03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के साथ सलग्न प्रारूप के अनुसार आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कराने के पश्चात भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिये है। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन फेज के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य, डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन के कार्य कराते हुए अपना धनराशि रू0 1718640.00 का बिल जी0एस0टी0 सहित कार्यालय जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर में प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत किये गये देयको एवं कराई गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 गौतमबुद्धनगर एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर द्वारा संयुक्त जांच की गई। संयुक्त जांच उपरान्त प्रथम फेज में की गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण ना होने के उपरान्त 20 प्रतिशत + 14 प्रतिशत कुल 34 प्रतिशत में से डी0पी0एम0यू0 गौतमबुद्धनगर एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1386000.00 जी0एस0टी0 सहित भुगतान योग्य पाया गया।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा आई0एस0ए0 द्वारा ग्रामों में करायी गई गतिविधियों, ग्राम पचांयतो की बैठकों में दिये गये सहयोग, ग्राम की महिलाओं की बैठक तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0ए0सी0) के गठन आदि के संबध में सत्यापन अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से कराने के उपरान्त सम्बन्धित विकास खण्ड की पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराते हुए पुनः आगामी बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर के समक्षं प्रस्तुत किया जाये।

बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
गौतमबुद्धनगर/सदस्य सचिव

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

13/12/22
अधिशासी अभियंता ग्राउंड वाटर,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

अधिशासी अभियंता सिचांई,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

13/12/22
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

13/12/2022
जिला विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर/ सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर /उपाध्यक्ष

16/12/22
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर /अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर।